[2013] 5 एस.सी.आर. 979

हजारा सिहं

बनाम

राजकुमार और अन्य

(अपराधिक अपील संख्या 603-604/2013)

[पी. सथाशिवम, एम.वाई.इकबाल और ए.के. सीकरी, जेजे.]

दण्ड संहिता] 1860-धारा 307 के तहत दोषसिद्धी और विचारण न्यायालय ने दो अभियुक्तगण को 5 वर्ष के सश्रम कारावास व अन्य दो अभियुक्तगण को तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डादिष्ट किया- उच्च न्यायालय ने अपील में दोषसिद्धी यथावत रखी परन्तु दण्डादेश को भुगती हुई सजा तक कम कर दिया- अभिनिर्धारितः दोषसिद्धी की पुष्ठी की गई- उच्च न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति और गवाहान @आहतगण की चोटों की गंभीरता पर मनन किये बिना दण्डादेश में कमी असंवहनीय है।

दण्डादेश - दण्डादेश नीति - यह न्यायालय का कर्तव्य है कि समूचित दण्डादेश अधिरोपित करने के लिये सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करें- दिया गया दण्डादेश अपराध की प्रकृति और परिमाण के अनुपातिक होना चाहिये - अपर्याप्त दण्डादेश अधिरोपित करने में अनूचित दयालूता न्यायतंत्र को अधिक नुकसान पहूॅचायगी और विधि की प्रभावशिलता ने

जनता के विश्वास को कम करेगी।

प्रत्यार्थीगण चारों अभियुक्तगण को अपीलार्थी परिवादी सहित तीन लोगो की हत्या के प्रयास के लिये अभियोजित किया गया। उन्हें धारा 148]149]323]324]435]447 और 307 भा-द-सं- के तहत आरोपित किया गया। विचारण न्यायालय ने धारा 307 भा-द-सं- के तहत उन्हें दोष सिद्ध किया] अभियुक्तगण पी- और डी- को 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डादेश किया गया। अभियुक्तगण के- और एल- को तीन वर्ष के सश्रम करावास से दण्डादिष्ट किया गया। सभी अभियुक्तगण पर अदम अदायगी पद के साथ 10]000@- रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अभियुक्तगण ने अपराधिक अपील प्रस्तुत की वहीं अपीलार्थी-परिवादी द्वारा अपराधिक पुनरीक्षण याचिका दण्डादेश में वृद्धि के प्रस्तुत की गई।

उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका खारिज की गई लेकिन अभियुक्तगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये उनके दण्डादेश को भुगती हुई सजा तक कम कर दिया। इसलिये एक परिवादी द्वारा यह वर्तमान अपील है।

इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय दिये गये दण्डादेश को भुगती हुई सजा तक करने में सही था ?

अपील स्वीकार करते हुये] इस न्यायालय द्वारा।

अभिनिर्धारितः 1-1 धारा 307 भा-द-सं- के तहत अधिकतम दण्ड

आजीवन कारावास या ऐसी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी] निर्धारित है। यद्यपि धारा 307 में दिये जाने वाले न्युनतम दण्ड स्पष्ट रूप से नही बताया गया है] न्यायालय का कर्तव्य है कि उचित दण्ड अधिरोपित करने के लिये सुसंगत तथ्यों विचार करे। विधायिका द्वारा दण्ड नीति में न्यायपालिका को यह महान विवेक प्रदान किया है जो कि सम्यक सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग में लाया जाना चाहियें। दिया गया दण्डादेश अपराध के परिमाण और प्रकृति के सीधे अनुपात में होना चाहिये। अनुपातिक दण्डादेश के मानक न्यायाधीशों को निष्पक्ष निर्णय तक पहूॅचने में सहायता कर सकते है।

1-2 दण्डादेश तंत्र के संचालन में विधि को प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक परिस्थतियों के आधार पर सुधारात्मक या निरोधात्मक प्रणाली अपनानी चाहिये। तथ्य और दिये गये परिस्थतियॉ] अपराधिक प्रकृति] अपराध की योजना और किये जाने के तरीके] अपराध कारित करने के उद्देश;] अभियुक्तगण के आचरण प्रयुक्त हथियारों के प्रकृति और मामलें की अन्य परिस्थितियॉ विचार में ली जाने चाहिये।

अपर्याप्त दण्डादेश अधिरोपित करने में अनूचित सहानुभूति न्यायतंत्र को अधिक नुकसान पहूॅचायगी और विधि की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करेगी। न्यायालय का कर्तव्य है कि अपराध की प्रकृति और उसे क्रियान्वित करने के तरीके को ध्यान में रखते हुये उचित दण्डादेश अधिरोपित करें। न्यायालय को ना केवल अपराध पीडितों के

अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिये बल्कि समाज के अधिकारो को भी उचित दण्ड अधिरोपित करते समय ध्यान में रखना चाहिये।

शैलेष जसवंत भाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य व अन्य 2006 (2) एस-सी-सी- 359/2006(1) एस-सी-आर- 477] अहमद हुसैन वलि मोहम्मद सैयद और अन्य बनाम गुजरात राज्य 2009 (7)एस-सी-सी- 254/2009 (8) एस-सी-आर- 719] जमीन उत्तर प्रदेष राज्य 2010 (12) एस-सी-सी- 532/2009 (15) एस-सी-आर- 712] गुरू बसव राज उर्फ देने सेतप्पा बनाम कर्नाटक राज्य 2012 (8) एस-सी-सी- 734]2012 (8) एस-सी-आर- 189] गोपाल सिंह उत्तराखण्ड राज्य जे0 टी- 2013 (3) एससी 444- निर्भर किया गया।

2. उच्च न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति और गवाहन@आहतगण का कारित चोटों व अपराध की प्रकृति पर विचार किये बिना दण्डादेश में कमी का आदेश असंवहनीय है। उच्च न्यायालय इस बात का संज्ञान लेने में असफल रहा कि पूरक एम-एल-आर- में अपीलार्थी@परिवादी के शरीर पर पाई चोट संख्या 1 चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार गंभीर दर्शायी गई। परिवादी पी- के शरीर पर पाई गई चोट संख्या 2 भी गंभीर पाई गई वहीं परिवादी एम- को कारित चोट संख्या 1 और 2 प्राणघातक घोषित की गई है और यह भी अभिलेख पर है कि आहत परिवादी एम ने अपनी आवाज गवां दी है। चशमदीद गवाहन व चिकित्सीय साक्ष्य से यह साबित हुआ है कि अभियोजन के कहे अनुसार अभियुक्तगण द्वारा चोटें कारित की है।

दण्डादेश में वृद्धि के लिये अपीलार्थी@परिवादी की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुये और दण्डादेश मे कमी को आदेश देते समय उच्च न्यायालय द्वारा केवल दो कारण बताये गये] (1) यदि अभियुक्तगण को सलाखों के पीछे भेजा जाता है तो यह गांव में पक्षकारों के मध्य पुरानी दुशमनी को पुनर्जिवित करेगा। (2) अभियुक्तगण ने 14 वर्ष लंबी विचारण@अपील की पीड़ा भुगती है। न्यायालय अभियुक्तगण को परिवारों के मध्य शुत्रता भड़कने के शक मात्र के आधार पर खुला नही छोड़ सकते। अभियुक्तगण को दिये जाने वाले दण्डादेश को निर्धारित करने के उद्देश्य से यह आधार असंगत है। उच्च न्यायालय यह भी विचार करने में असफल रहा की मात्र विचारण में देरी दण्डादेश में कमी का उचित आधार नहीं है। उच्च न्यायालय की अति सुसंगत तथ्य को विचार मे लेने मे असफल रहा की अपीलार्थी अभियुक्त आर- को इस आशय से और ज्ञान से और ऐसी परिस्थतियों में परिवादी एम- के सिर पर गंभीर उपहति कारित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से आरोपित किया गया कि यदि उस कृत्य से वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता। इसलिये उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपत दण्डादेश अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश पुर्नस्थापित किया जाता है।

साधा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1985(2) एससीसी 225; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ननकू प्रसाद मिश्रा और अन्य 2005(10) एस-सी-सी- 503- निर्भर किया गया

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 603-604/2013

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण याचिका 416@1997 और आपराधिक अपील संख्या 4-एस-बी-@ 1997 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03-11-2008 से उद्भुद।

आर.सी.कोहली, एस.एस.शम्शेरी, शुभाशीस आर.सोरेन, वी.एम.विष्णु, भारत सूद, आशा कोछार, अपीलार्थी की ओर से

नरेश बक्षी, अश्वनी अंतिल, संजय कुमार त्यागी, प्रत्यर्थियों के ओर से

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

पी-सथाशिवम] न्यायाधिपति 1-अनुमति दी गई

2- यह अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय] चंडीगढ़ द्वारा आपराधिक अपील नंबर 4-एस-बी-@1997 व आपराधिक पुनरीक्षण नंबर 416@1997 पारित आदेश दिनांक 03-11-2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को आंf'k क रूप से स्वीकार करते हुये उनके दण्डादेश को कम करते हुये भुगति सजा पर कम किया गया और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया।

3- संक्षिप्त तथ्यः-

(ए) अभियोजन के अनुसार दिनांक 25-04-1994 को चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी-अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य क्रेंद्र] लाड़वा में पुलिस थाना को सूचित करते हुये एक रूक्का भेजा कि मैहमा सिंह- प्यारा सिंह व हजारा सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनको झगड़ें में चोटें आई है। मैहमा सिंह गंभीर था और उसे लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल] कुरूक्षेत्र भेजा गया है। उक्त रूक्का प्राप्त होने के पश्चात 26-04-1994 को थाना इंचार्ज] बाबेन एल-एल राजपाल सिंह] ए- एस- आई- अस्पताल गये और आहतगण के कथन लेखबद्ध किये।

(बी) हजारा सिंह ने अपने कथनों में बताया कि वह काशीथल गांव का रहने वाला है और एक किसान है। 6-7 वर्ष पूर्व उसने रामपुरा गांव मंs सतपाल से विवादास्पद 6 कैनाल कृषि भूमि खरीद की जिसका कब्जा उसको सुपुर्द किया गया। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ गेहूं की काश्त करता था और फसल को पास के खेत में रखता था।

(सी) 25-04-1994 को शkम 6/30 बजे के लगभग उसका भाई प्यारा सिंह ट्रेक्टर से खेत जोत रहा था जबकि वह तथा उसके पिता पास के खेत में काटी गई फसल इक्कठा कर रहे थे। उस समय उन्होनें अचानक अपने भाई प्यारा सिंह की बचाओ-बचाओ की आवाज सुनी। उसके बाद प्यारा सिंह को ट्रेक्टर से कूदते हुये और खतरे के संबंध में आगाह करते हुये

उनकी तरफ आते देखा और केशोराम व उसका भाई 5-6 अन्य लोगों के साथ निकाली हुई गेहूं की फसल को ट्रेक्टर में रख रहे थे। राजकुमार उसके पास रखी जरीकन से ट्रेक्टर पर डीजल उड़ेल रहा था। तब केशोराम ने ट्रेक्टर में आग लगा दी और लालचंद और भाग सिंह उसके भाई के पीछे भागे और उसे घेर लिया। उन्होनें लाठियों से उसके भाई को मारना शुरू किया। वह तथा उसका पिता शोर मचाते हुये उसके भाई के पास गये। जब वह उसके भाई के पास पहुंचे] केशोराम ने उसके सिर पर गंडासी का वार किया लेकिन उसने हाथ उपर उठाते हुये बचाव किया जिसमें उसके दायें हाथ के अंगूठे व उंगलियों में चोट आई। साथ-साथ ही अनु और टीन्ना ने उसपर लाठियों से प्रहार किया। इतने में लालचंद] राजकुमार और भाग सिंह ने उसके पिता को चोटें कारित करना प्रारंभ किया और गंभीर उपहतियां कारित की। शोर सुन कर लक्ष्मण सिंह और भगत सिंह पास के खेत से आये। उनको देखकर सभी अभियुक्तगण अपने हथियार लाठी और गंडासी लेकर भाग गये। उक्त चोटों के कारण वह तीनों बेहोश हो गये जब उसे होश आया तो उसने अपने आप का लाड़वा अस्पताल में पाया।

(डी) उक्त सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 148]149]323]324]435 व 447 भा-द-सं दर्ज की गई। चिकित्सक की राय के पश्चात की चोटें प्राणघातक है] धारा 307 आईपीसी का अपराध भी जोडा गया।

(ई) चिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त करने और अनुसंधान पूर्ण होने के बाद

सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया और उनकी सूचना के आधार पर अपराध में प्रयुक्त हथियार बरामद किये गये और सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द किया गया। पक्षकारों को सुनने के बाद सभी 6 अभियुक्तगण को उक्त अपराधों के लिये आरोपित किया गया। 6 अभियुक्तगण में से 2 अवयस्क माने गये और उनका विचारण बाल न्यायालय द्वारा किये जाने के निर्देष दिये गये। शेष चार मुल्जिमान@ प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 ने दोषारोपण स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

(एफ) अपर जिला न्यायाधीश] कुरूक्षेत्र ने सेषन केस नंबर 44@1994 में आदेश दिनांक 21-12-1996 के द्वारा अभियुक्तगण राजकुमार] भाग सिंह] केशोराम और लालचंद को अपराध अंतर्गत धारा 307 आईपीसी के लिये दोषसिद्ध किया और राजकुमार और भाग सिंह को 5 वर्ष को सश्रम कारावास व 10]000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया] अदम अदायगी एक साल सश्रम कारावास से दण्डित किया वहीं केशोराम और लालचंद को तीन साल के सश्रम कारावास व 10]000 रूपये के जुर्माने] अदम अदायगी नौ माह के सश्रम कारावास और भुगतने से दण्डित किया गया। उपर्युक्त के अलावा सभी अभियुक्तगण को विभिन्न शीर्षकों में दोषसिद्ध व दण्डादेश किया गया।

(जी) दोषसिद्धी व दण्डादेश के उक्त आदेश से व्यथित होकर अभियुक्तगण-प्रत्यर्थीगण ने आपराधिक अपील संख्या 4-एस बी 1997 प्रस्तुत की वहीं अपीलार्थीगण ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका नंबर 416@1997 पंजाब व

हरियाणा हाई कोर्ट] चंडीगढ में दण्डादेश में वृद्धि के लिये प्रस्तुत की।

(एच) उच्च न्यायालय में आलोच्य आदेश दिनांक 03-11-2008 के जरिये अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका खारिज की तथा अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये दण्डादेश को भुगती हुई सजा तक कम कर दिया।

(आई) उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका के जरिये यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

4- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर सी कोहली हरियाणा सरकार के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश बक्षी तथा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता अष्विनी अंतिम को सुना गया।

5- इन अपीलों ने एक ही बिन्दु विचारणीय है कि क्या उच्च न्यायालय अभियुक्तगण के दण्डादेश को भुगती हुई सजा तक कम करने में सही था।

6- उच्च न्यायालय द्वारा दण्डादेश को कम करने के लिये दिये गये तर्कों को समझने के लिये धारा 307 आईपीसी को संदर्भित किया जाना उचित है जो इस प्रकार हैः--

"307 हत्या का प्रयास] जो कोई किसी कार्य को ऐसे आश्य

से या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देगा तो वह हत्या का दोषी होता व दोनों में से किसी भी भांति के कारावास] जिसकी अवधि 10 साल तक की हो सकेगी] दण्डित किया जा सकेगा और जुर्माने से भी दण्डिनीय होगा और ऐसे कार्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को उपहति कारित हो जाये तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा जैसा एतस्मिन पूर्व वर्णित है।**

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उसमें अधिकतम दण्ड आजीवन कारावास अथवा दस वर्ष तक का कारावास विहित किया गया है। यदपि धारा 307 आईपीसी स्पष्ट रूप से न्युनतम दण्ड विहित नहीं करती है] यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उचित दण्डादेश अधिरोपित करने के लिये सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करें। विधायिका ने दण्डादेश की नीति में न्यायपालिका पर यह बडा विवेक न्यायपालिका को सौंपा है जो कि अत्यधिक सावधानी व सर्तकता से प्रयोग किया जाना चाहिए। दिया गया दण्डादेश अपराध की प्रकृति व गंभीरता से परिमाण में अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक दण्डादेश का मानक न्यायाधीशों को ऋजु व भेदभावरहित निर्णय पारित करने में सहायता कर सकता है।

दण्डादेश की नीति

7- दण्डादेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है कि अधिरोपित दण्डादेश से अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध परिलक्षित होना चाहिए और यह अपराध गंभीरता के अनुपातिक होना चाहिए। इस न्यायालय ने बारंबार अनेकों मामलों में दण्डादेश की अनुपातिकता पर जोर दिया है।

8- इस मामले के तथ्य शैलेश जसवंत भाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य व अन्य 2006(2) एस सी सी 359 के तथ्यों व परिस्थितियों से समान है जिसमें अभियुक्त को धारा 307@114 भा-द-स- के तहत दोषसिद्ध किया गया था और उसके लिये विचारणीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। हालांकि उच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दण्डादेश को भुगती हुई सजा तक कम कर दिया। इस मामले में उच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया कि आरोपित दण्डादेश किये गये अपराध के अनुपातिक नहीं है इसलिये विधि की नजर में संवहनीय नहीं है। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया **''

> " कानून सामाजिक हितोें] विनियमित करता है] विरोधाभासी दावों और मामलों में मध्यस्थ्ता करता है। व्यक्तियों की सुरक्षा व लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य का सारभूत कार्य है। यह आपराधिक विधि के जरिये हासिल किया जा सकता है। निसंदेह यह उभय सांस्कृतिक संघर्ष है जहां जीवन कानून को नई चुनौतियों का उत्तर ढूंढना पड़ेगा और न्यायालयों को दण्डादेश ढांचे को चुनौतियों

से निपटने के लिये परिवर्तित करना पडेगा। विधिहीनता की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था को कमतर आंकती है व इसे नष्ट करती है। समाज की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों को रोकना विधि का उद्देश्य होना चाहिए जो कि उचित दण्ड देकर हासिल किया जाना चाहिए। इस कारण विधि को व्यवस्था के मुख्य स्तंभ होने के नाते समाज के विरूद्ध उत्पन्न चुनौतियों को पूरा करना चाहिए। फ्रीडमन ने अपनी किताब ^^बदलते समाज में कानून** में लिखा है कि ^^आपराधिक विधि की अवधारणा जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए- समाज की चेतनता को निश्चायक रूप से परिलक्षित करती हो**। इसलिये दण्डादेश नीति को लागू करने में कानून को सुधारात्मक मशीनरी या निरोधात्मक मशीनरी का तथ्यात्मक स्थितियों में अपनाना चाहिए। कुछ सुधारों के साथ दण्डादेश की प्रक्रिया जहां आवश्यक है वहां कठोर होनी चाहिए और जहां आवश्यक है वहां दया की भावना भी दिखाई जानी चाहिए। तथ्यों और दी गई परिस्थितयों में प्रत्येक मामले में अपराध की प्रकृति और उसको किये जाने के तरीके] अपराध कारित किये जाने के उद्देश्य] अभियुक्तगण के आचरण] प्रयुक्त हथियारों और अन्य परिस्थितयां सुसंगत तथ्य है जो विचार के दायरे में आती

है।

8. इसलिये दण्डादेश अधिरोपित करने में अवांछित सहानुभूति न्यायिक व्यवस्था को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जो कि कानून की प्रभावशीलता और जनता के विश्वास को कमतर करती है और सामाज ज्यादा समय तक ऐसी गंभीर धमकियों को सहन नहीं करता। इसलिये सभी न्यायालयों का कर्तव्य है कि अपराध की प्रकृति और उसको किये जाने के तरीके को उचित दण्डादेश पारित करते समय ध्यान रखे।

9. यह स्थिति अहमद हुसैन व अली मोहम्मद सैयद व अन्य बनाम गुजरात राज्य 2009(7) एस सी सी 254 में भी दोहराई गई है जिसमें यह कहा गया है कि]

> "99--------उचित दण्डादेश अधिरोपित करने का उद्देश्य समाज को सुरक्षा प्रदान करने व अपराधी को उचित दण्डादश देकर विधि का उद्देश्य प्राप्त करने का होना चाहिए। यह आशा की जाती है कि न्यायालय दण्डादेश प्रणाली को इस प्रकार संचालित करेंगें कि जिससे वह समाज के मानस को प्रतिबिंबित करें तथा दण्डादेश प्रक्रिया जहां आवष्यक हो वहां कठोर भी होनी चाहिए। तुच्छ दण्डादेश अधिरोपित करने का लंबा समय व्यतीत

होने के कारण उदार रवैया या अति-सहानुभूतिपरक रवैया अपनाना ऐसे अपराधों के संबंध में दीर्घकाल में नकारात्मक उत्पादक साबित होगा और समाज के हितों के विरूद्ध होगा जिसकी की सुरक्षा दण्डादेश प्रणाली में निरोधात्मकता से आयेगी।

"100 न्याय यह मांग करता है कि न्यायालयों को अपराध के अनुसार दण्ड अधिरोपित करना चाहिए ताकि न्यायालय अपराध के प्रति जनता की अवधारणा को दर्शित करे। न्यायालयों को ना केवल अपराध पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि समाज के अधिकारों को भी उचित दण्ड देते समय विचार में लेना चाहिए। न्यायालय अपने कर्तव्य में असफल रहेंगें यदि समुचित दण्ड नहीं दिया जाता है जो अपराध पीड़ित व समाज के विरूद्ध किया जाता है जिसका की वह हिस्सा है।"

इस मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि अपराध की गंभीरता को विचार में लिये बिना केवल समय गुजर जाने के आधार पर कुछ दण्डादेश पारित किया जाना दीर्घकाल में नकारात्मक उत्पादक होगा और समाज के हितों के विरूद्ध होगा।

10- जमील बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 2010(12) एससीसी पेज नंबर 532 में यह कहते हुये प्रतिपादित किया है कि दण्ड उचित होना चाहिए और अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए। दण्डादेश की अवधारणा के संबंध में बताते हुये न्यायालय ने कहा कि]

> "15. दण्डादेश तंत्र के संचालन में न्याय को तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार सुधारात्मक प्रक्रिया या निरोधात्मक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मामुली परिवर्तन के साथ जहां आवश्यक हो वहां दण्ड प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां दया भी दिखानी चाहिए। प्रत्येक मामले के तथ्य व परिस्थितयों] अपराध की प्रकृति] जिस तरीके व योजना के साथ इसे कारित किया गया] अपराध कारित करने के आशय] अभियुक्तगण के आचरण] प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति और अन्य संबंधित परिस्थितयां सुसंगत तथ्य है जो विचार में ली जानी चाहिए।
>
> 16. प्रत्येक न्यायालय का यह दायित्व है कि अपराध किये जाने के तरीके व अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये दण्डादेश अधिरोपित करे दण्डादेश देने वाले न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि दण्डादेश के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाले सभी परिस्थितियों व सुसंगत तथ्यों पर विचार करे और अपराध की गंभीरता के अनुरूप दण्डादेश अधिरोपित

करे।

11- गुरू वसव राज उर्फ बैने सेतपा बनाम कर्नाटक राज्य 2012-8 एससीसी पेज नंबर 734 में समुचित दण्ड की अवधारणा पर विचार करते हुये इस न्यायालय में कहा कि]

> "यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि अपराध करने और सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दी जाए। न्याय के लिए सामूहिक आवाज़ को, जिसमें पर्याप्त सज़ा भी शामिल है, हल्के से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। "

12- हाल ही में गोपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य जे टी 2013-3 एससीसी पेज नंबर 444 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि]]'

> "18. उचित दण्ड समाज की सामुहिक पुकार है जिसे मानस से उपर रखा जाना चाहिए साथ ही अपराध और दण्ड में अनुपातिकता को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। उचित दण्ड का सिद्धांत आपराधिक अपराध की आधारशिला हैˆˆ।

13- हम पुनः इस बात पर बल देते है कि दण्डादेश तंत्र के संचालन में तथ्यात्मक परिस्थितयों के अनुसार सकारात्मक प्रक्रिया या निरोधात्मक प्रक्रिया विधि को अपनानी चाहिए। किसी मामले की तथ्य व परिस्थितयों] अपराध की प्रकृति] अपराध की योजना व उसे कारित करने

के तरीके] अपराध के आशय] अभियुक्तगण के आचरण] प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति और अन्य परिस्थितयों सुसंगत तथ्य है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम पुनः इस बात पर बल देते है कि अपर्याप्त दण्डादेश अधिरोपित करने में अवांछित सहानुभूति न्याय की प्रभावशीलता पर समाज के भरोसे को कम करती है और न्याय तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। न्यायालय का कर्तव्य है कि अपराध किये जाने के तरीके व उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुये उचित दण्डादेश अधिरोपित करें। न्यायालय को ना केवल अपराध पीड़ित के अधिकारों का यान रखना चाहिए बल्कि समाज के अधिकारों का भी समुचित दण्डादेश अधिरोपित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

14- इन सिद्धांतों के साथ] हम इस बात पर विचार करेंगें कि क्या आलोच्य आदेश स्थापित सिद्धांतो में दिये गये मानकों के तहत आता है। आलोच्य आदेश में सुसंगत पैराग्राफ निम्नलिखित हैः-

> ‘‘----------इस बात पर बल दिया गया है कि राजकुमार 14 माह कारावास भोग चुका है और भाग सिंह 6 माह जबकि केशोराम और लालचंद 2 माह कारावास भुगत चुके है और वह 1994 से विचारण की पीड़ा भुगत रहे हैं। आपराधिक विधि शास्त्र का उद्देश्य समाज में अनुशासन] शांति और सौहार्द लाना है और गलती करने वाले व्यक्ति को स्वयं को सुधारने का अवसर उपलब्ध करवाना है। उचित

मामलों में नरमी दिखायी जानी चाहिए और अभियुक्तगण को सुधारात्मक पद्धति अपनाते हुये सुधार का अवसर उपलब्ध करावाना है। यह विवादित नहीं है कि पक्षकार एक ही गांव के है। यह भी नहीं दर्शाया गया है कि इन वर्षों में उनके मध्य कोई और झगड़ा हुआ हो। यदि अपीलार्थीगण को सलाखों के पीछे भेजा जाता है तो यह गांव में पक्षकारों के मध्य पुरानी अदावत को जागृत करेगी। वह पहले से ही 14 साल से विचारण@अपील की पीडा भुगत चुके है। इसलिये न्यायहित में नरमी का रूख अपनाया जाना उचित होगा कि अभियुक्तगण पर अधिरोपित दण्डादेश परिवर्तित किया जावे और आहत परिवादियों को मुआवजा दिलाया जा सके**।

15- अब आलोच्य आदेश में दण्ड को कम करने के लिये दिये गये कारणों का विशलेषण करते है। उच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया कि राजकुमार 14 माह] भाग सिंह 6 माह] केशोराम और लालचंद 2 माह का कारावास भुगत चुके है। उच्च न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया कि वह 1994 से विचारण की पीडा भुगत रहे हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय में यह भी लिखा कि दोनों पक्षकार एक ही गांव के है और इस कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कोई और झगडा उनके मध्य नहीं हुआ है। यदि अभियुक्तगण को सलाखों के पीछे भेजा जाता है तो अभियुक्तगण व पीडित परिवार के मध्य पुरानी अदावत जागृत हो जायेगी। इन तथ्यों का उल्लेख

करते हुये उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायहित में नरम रूख अपनाया जाना उचित है और अधिरोपित दण्डादेश परिवर्तित किये जाने योग्य है और परिवादीगण को मुआवजा दिलाया जा सकता है। यह कहते हुये उच्च न्यायालय ने उनपर अधिरोपित दण्डादेश को भुगती हुई सजा तक कम कर दिया और अभियुक्तगण को आहतगण मैहमा सिंह] प्यारा सिंह और हजारा सिंह को आदेश से तीन माह की अवधि में 25]000@-रूपये मुआवजा अदा करने के निर्देश दिये जिसमें असफल होने पर उनकी अपील खारिज समझी जायेगी।

16- राज्य को ज्ञात सर्वोत्तम कारणों से उसके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी गई। दूसरी तरफ आहतगण में से हजारा सिंह ने विशेष अनुमति याचिका के जरिये यह अपील प्रस्तुत की है। हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके है कि धारा 307 आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धी की पुष्टि की जाती है] वास्तव में इसे चुनौती भी नहीं दी गई है। वर्तमान अपीलों में अपीलार्थी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि उपचार की अवधि] पीड़ा] चोटों की प्रकृति को देखते हुये कुछ माह का कारावास उचित नहीं है और उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए और विचारणीय न्यायालय का निर्णय प्रत्यावर्तित किया जावें।

17- यह विवादित नहीं है कि तीनों व्यक्ति अभियुक्तगण के हाथों घायल हुये और सभी का चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया गया। इनकी चोटें उनका इलाज करने वाले चिकित्सकों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र से स्पष्ट है जो इस प्रकार हैः-

> "अभियोजन साक्ष्य-1 डॉ के-के-चावला चिकित्सा अधिकारी लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल] कुरूक्षेत्र जिसनें हजारा सिंह के एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी ए को साबित किया है व राय व्यक्त की है-बायें घुटने की एक्स-रे से टकने की हड्डी का अस्थिभंग है। अन्य पांच चोटों यथा खोपड़ी बाईं जांघ] बायां हाथ] दायां हाथ और बायां कंधा के बारे में कोई अस्थी की चोट नहीं पाई जाने की राय दी है। प्यारा सिंह की चोटों के बारे में उसने कहा है कि खोपड़ी के एक्स-रे में कोई अस्थीभंग नहीं है इसके साथ ही सीने] दायें हाथ और बायें टकने के एक्स-रे में कोई अस्थिभंग नहीं है हालांकि बायें कंधे के एक्स-रे अनुसार बाईं स्कैपुला का अस्थिभंग है। इस संबंध में एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी बी है।
>
> अभियोजन साक्ष्य-2 डॉ पी अग्रवाल] चिकित्सा अधिकारी] सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र] लाडवा ने महैमा सिंह का 25-04-1994 को रात 9/25 पर परीक्षण किया और उसके शरीर पर विभिन्न चोटें पाई]

1- कुचला हुआ घाव 1-1@2 से-मी- गुणा 1@2 सेमी बायें पैराईटल भाग पर हड्डी तक गहरी 3 से-मी- बाहरी से अंदरूनी बाल-रेखा। 8 से-मी- की परीधी का आस-पास के हिस्से में सूजन थी। सूजन प्रकृति में बड़ी थी। एक्स-रे और शल्य चिकित्सक की राय की सलाह दी गई।

2- बाईं आंख सूजी हुई थी और लाल-नीले रंग की थी। दोनों पलकें सूजी हुई थी] सूजन माथे तक फेैली हुई थी। एक्स-रे और चक्षु शल्य चिकित्सक की राय की सलाह दी गई।

3- नीलगू निशान 10 सेमी गुणा 1 से-मी- सीने के पीछे बाईं तरफ एक-दूसरे से

4- नीलगू निशान 12 से-मी- गुणा 2 से-मी- पेट के बायें भाग के बाहरी तरफ। एक्स-रे और शल्य चिकित्सक की राय की सलाह दी गई।

5- बायें हाथ का निचला भाग सूजा हुआ था। चरचराहट मौजूद थी। एक्स-रे की सलाह दी गई।

6- बायें कुल्हे पर दो नीलगू निशान थे और आस-पास के भागों में सूजन थी। एक्स-रे की सलाह दी गई।

7- रगड़क 1 से-मी- गुणा 1@2 से-मी- नाक के दाहीनीं तरफ। एक्स-रे की सलाह दी गई।

उसने महैमा सिंह के पुत्र हजारा सिंह का भी समय 9/50 पर परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्न चोVs पाई गईः-

1-- कुचला हुआ घाव 3 से-मी- गुणा 1@2 सेमी बायें पैराईटल भाग पर हड्डी तक गहरी 3 से-मी- बाहरी से अंदरूनी बाल-रेखा। ताजा खून बह रहा था। एक्स-रे और शल्य चिकित्सक की राय की सलाह दी गई।

2- नीलगू निशान 12 से-मी- गुणा 3 से-मी- बाईं जांघ के मध्य अग्रपास्वीक भाग esa। आस-पास के हिस्से में सूजन थी। एक्स-रे की सलाह दी गई।

3-- बायें हाथ के मध्य भाग मे सूजन थी। एD स-रे की सलाह दी गई।

4-- तर्जनी व अंगूठे के मध्य बायें हथैली के बाहरी भाग पर मांसपेशियों तक गहरा 1 से-मी- गुणा 1@2 से-मी- कट्टा हुआ घाव। रेखाएं पूरी कट्टी हुई थी। ताजा रक्तस्त्राव मौजूद था। एक्स-रे की सलाह दी गई।

5-- रगड़क 2 से-मी- गुणा 1 से-मी- दायें कं/ks के पीछले भाग पर। हिलना-डुलना दर्दनीय था। एक्स-रे की सलाह दी गई।

6-- दायें पैर के दूसरी उंगली के तले के पास कुचला हुआ घाव 1 सेमी गुणा 1@2 सेमी चमड़ी की गहराई तक।

26-04-1994 को मरीज की सामान्य जांच के दौरान उसने हजारा सिंह के शरीर पर एक और चोट पाईं जो इस प्रकार हैः-

‘‘बायें घुटने के चारों तरफ फेली हुई हल्की लाल रंग की सूजन थी। मरीज गंभीर दर्द की शिकायत कर रहा था। चोट छुने पर दर्द करती थी। हिलना-डुलना दर्दनीय और कम था। बायें घुटने की एक्स-रे की सलाह दी गई।

मैहमा सिंह के शरीर पर पाई गई सभी चोटें भौंटें हथियार से कारित की गई थी। चोट संख्या 4 को छोड़कर हजारा सिंह के शरीर पर पाई गई चोटें भोंटें हथियार से कारित की गई थी। चोट संख्या 4 धारदार हथियार द्वारा कारित की गई थी।

इस चिकित्सक गवाह ने प्यारा सिंह का समय 10/05 पी एम पर परीक्षण किया और उसके शरीर पर निम्नलिखित 6

चोVs पाई]

1-- कुचला हुआ घाव 1-1@2 से-मी- गुणा 1@2 से-मी- हड्डी की गहराई तक। चमड़ी के मध्य बाहरी से अंदरूनी बालरेखा तक जिसमें ताजा रक्तस्त्राव मौजूद था। एक्स-रे और शल्य चिकित्सक की राय की सलाह दी गई।

2-- फेली हुई लालीमा लिये बायें कं/ks के पीछे सूजन। कं/ks का हिलना-डुलना दर्दनीय था। लालीमा मौजूद थी। एक्स-रे की सलाह दी गई।

3-- नीलगू निशान 18 से-मी- गुणा 2 से-मी- सीने के बायें तरफ पास्वीक भाग esa और पीठ के साथ सीधी।

4-- रगड़क 4 से-मी- गुणा 1 सेमी सीने के र्दाइं तरफ पीछे जिसमें आस-पास के हिस्से में सूजन थी। एक्स-रे की सलाह दी गई।

5-- बायें हाथ के 1@3 भाग पर फेली हुई सूजन मौजूद थी। एक्स-रे की सलाह दी गई।

6-- बायें गुल्फ के पास फैेली हुई सूजन। टखने के जोड़ का चलन दर्दनीय था। एक्स-रे की सलाह दी गई।

सभी चोटें भौंटें हथियार से कारित की गई थी। इस

संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श पी-ई व चोटों की स्थिति दर्शाता रेखाचित्र प्रदर्श पी-ई@1 है।

इस गवाह ने पूरक एम-एल-आर प्रदर्श पी-एच में हजारा सिंह के शरीर पर पाई गई चोट संख्या 01 के रूप में दर्शाई गई चोट जो गंभीर पाई गई] के संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श पी-जी को साबित किया है। उसमें प्यारा सिंह के शरीर पर चोट संख्या 02 गंभीर होने व शेष साधारण होने की रिपोर्ट प्रदर्श पी-के को भी साबित किया है। उसने यह भी कथन किया है कि दिनांक 28-04-1994 को उसने पी-जी-आई-] चंडीगढ महैमा सिंह का शल्य चिकित्सा प्रपत्र प्राप्त किया। जिस पर उसने इतल्ला प्रदर्श पी-एल पुलिस को भेजी और चोट संख्या 01 व 02 को प्राण-घातक घोषित किया।

अभियोजन साक्ष्य 03-डॉ- पी- वारा प्रसाद] वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी] आपातकालीन] पी-जी-आई-] चंडीगढ़ ने प्रदर्श पी-एम@1 और प्रदर्श पी-एम@3 पर इस तथ्य बाबत की दिनांक 02-06-1994 व 22-07-1994 को जब पुलिस ने उससे राय ली तब महैमा सिंह आहत बयान देने में असमर्थ था] को साबित किया है।

अभियोजन साक्ष्य 15-आहत हजारा सिंह] पी-डब्ल्यू- 16 जसपाल सिंह] चश्मदीद गवाह] पी-डब्ल्यू-17 प्यारा सिंह और पी-डब्ल्यू-19 आहत मैहमा सिंह ने मोटे तौर पर अभियोजन के मामले का समर्थन किया है।"

उपर्युक्त चोटों को चिकित्सकों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र और उनके द्वारा दी गई साक्ष्य के संदर्भ में विशलेषण करने के पश्चात विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा-

"ए- वर्तमान मामले में अभियोजन यह दर्शानें में सफल रहा है कि अन्वेषण के दौरान गवाह बोलने में असमर्थ था। यहां तक की डॉ अश्विनी कुमार चौधरी ने दिनांक 02-04-1996 को पी-डब्ल्यू-18 के रूप में गवाह कटघरे में उपस्थित होते हुये कहा है कि न्यायालय में मौखिक रूप से गवाह का परीक्षण करने पर उसकी आवाज अस्पष्ट थी। जब महैमा सिंह पी-डब्लयू- 19 के रूप में उपस्थित हुआ तब उसे बोलने में कठिनाई महसुस हो रही थी परन्तु वह जो कहना चाहता था उसे समझा जा सकता था इसलिये उसके कथन लेखबद्ध किये गये। उसके कथनों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परीक्षण के दौरान अभियुक्त के नाम बोलने में उसे परेशानी महसूस हो रही थी और अभियुक्तगण के हाथ लगाकर उनके द्वारा किये गये कृत्य के बारे में बताने की अनुमति दी गई। अभियोजन के मामले के अनुसार गवाह घटना में घायल हुआ और उसे न्यायालय में प्रथम

बार परीक्षित कराने से अभियुक्तगण को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

बी- चश्मदीद गवाहान के कथनों व चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर यह साबित है कि अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन द्वारा बताये अनुसार चोटे कारित की गई है। यद्यपि अभियोजन में मामला साबित करने के अपने सबूत के भार का निर्वहन किया है। फिर भी विवाद को निर्धारित करने के लिये बचाव का भी परीक्षण किया जाना सुसंगत है।

सी- परीणामस्वरूप मैं यह निर्धारित करता हूं कि घटना के दिन आहतपक्ष विवादास्पद भूमि पर काबिज था। घटना अभियोजन के बताये अनुसार घटित हुई है तथा अभियुक्तगण ने संपत्ति और स्वयं के आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कार्य नहीं किया है।

डी- मामले के उक्त विचार में तथा इस तथ्य के मध्यनजर की सभी अभियुक्तगण ने अविधिक समुह का गठन किया हो। आहतगण की भूमि में प्रवेश किया और उनके कब्जे में होने के आधार पर उन्होंनें धारा 148 और 447 भा-द-स- का अपराध कारित किया है।

ई- समुह के सामान्य उद्देश्य के अग्रेषण में ट्रेक्टर के जलाये जाने का मत साबित पाया गया है और इस प्रकार उन्होंनें धारा 435 सपठित धारा 149 भा-द-स- के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है।

एफ- यह भी साबित हुआ है कि प्यारा सिंह के बायें कं/ks पर भौंटें

हथियार से भाग सिंह द्वारा चोट कारित की गई। इस संबंध में एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्ष पी-बी अस्थिभंग दर्शाती है। उसमें इसलिये धारा 325 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है और अन्य अभियुक्तगण भी धारा 325 सपठित धारा 149 भा-द-स के अपराध के लिये उत्तरदायी है।

जी- हजारा सिंह की एम-एल-आर- के आधार पर चोट संख्या 04 केशोराम द्वारा धारदार हथियार गंडासी से कारित की गई है और उसे धारा 324 के अपराध के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है तथा अन्य अभियुक्तगण अविधिक समुह के सदस्य होने के कारण धारा 324 सपठित धारा 149 भा-द-स- के अपराध के लिये उत्तरदायी है।

एच- यह भी साबित हुआ है कि सभी अभियुक्तगण ने महैमा सिंह] हजारा सिंह और प्यारा सिंह को स्वैच्छापूर्वक साधारण उपहति कारित की और उन्होंनें अपने आप को धारा 323 सपठित धारा 149 भा-द-स- के लिये उत्तरदायी बनाया है।

आई- धारा 307 के अपराध के संबंध में राजकुमार को व्यक्तिगत रूप से इस आशय अथवा ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में महैमा सिंह के सिर पर चोट कारित करने के लिये यदि वह कृत्य के द्वारा महैमा सिंह की मृत्यु कारित करता तो वह हत्या का दोषी होता] के लिये आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अन्य अभियुक्तगण को धारा 149 भा-

द-स- की सहायता से आरोपित किया गया। भाग सिंह को भी व्यक्तिगत रूप से धारा 307 भा-द-स- के आरोप के लिये आरोपित किया गया और अन्य अभियुक्तगण को भाग सिंह के कृत्य के लिये धारा 149 भा-द-स- की सहायता से आरोपित किया गया।

18-- विचारण न्यायालय में चिकित्सकों की साक्ष्य व उनके द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के विशलेषण के बाद उपर्युक्त अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया और निम्नलिखित दण्डादेश कारित कियाः-

"ए-अभियुक्त राजकुमार अंतर्गत धारा 307 भा-द-स-- 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10]000@-रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना एक वर्ष का सश्रम कारावास।

बी-अभियुक्त भाग सिंह अंतर्गत धारा 307 भा-द-स-- 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 10]000@-रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना एक वर्ष का सश्रम कारावास।

सी-अभियुक्त केशोराम अंतर्गत धारा 307 भा-द-स-- 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10]000@-रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना नौ माह का सश्रम कारावास।

डी-अभियुक्त लालचंद अंतर्गत धारा 307 भा-द-स--3 वर्ष का सश्रम कारावास व 10]000@-रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना नौ माह का सश्रम कारावास।

उपर्युक्त के अलावा सभी अभियुक्त प्रत्यर्थीगण को निम्नलिखित दण्डादेश भी दिया गया हैः-

अंतर्गत धारा 325 भा-द-स--2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000@-:i;s का जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का सश्रम कारावास।

अंतर्गत धारा 324 भा-द-स--1 वर्ष का सश्रम कारावास

अंतर्गत धारा 447 भा-द-स-- 1 माह का सश्रम कारावास

अंतर्गत धारा 323 भा-द-स-- 6 माह का सश्रम कारावास

अंतर्गत धारा 148 भा-द-स-- 1 वर्ष का सश्रम कारावास

अंतर्गत धारा 435 भा-द-स-- 2 वर्ष का सश्रम कारावास साथ में प्रत्येक पर 10000/- का जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का सश्रम कारावास।

19-- यह स्पष्ट है कि चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार हजारा सिंह की पूरक एम एल आर में पाई गई गंभीर चोट संख्या 01 को विचार में लेने में उच्च न्यायालय असफल रहा। प्यारा सिंह के शरीर पर चोट संख्या 02 भी गंभीर पाई गई वहीं महैमा सिंह को कारित चोट संख्या 01 व 02 प्राण-घातक घोषित की गई और यह भी अभिलेख पर है कि आहत महैमा सिंह ने अपनी आवाज गवां दी।

20- जैसा कि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा सही इंगित किया गया है] उच्च न्यायालय इसे समझने में असफल रहा कि विचारण न्यायालय आहत गवाहों के बयानों तथा चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर मामले को साबित मानने के निष्कर्ष पर पहूंचा था और समुचित दण्डादेश अभियुक्त प्रत्यर्थीगण को दिया था। हम पहले ही कह चुके है कि दण्डादेश में वृद्धि के लिये अपीलार्थी के आग्रह पर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते समय और दण्डादेश में कमी के आदेश को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये उच्च न्यायालय ने केवल दो कारण बताये है जो कि]

"यदि अभियुक्तगण को सलाखोंs के पीछे भेजा जाता है] यह गांव में पक्षकारों के मध्य पुरानी अदावत को पुनर्जीवित करेगा और द्वितीय] अभियुक्तगण ने विचारण और अपील की 14 वर्ष लंबी पीड़ा भुगती है"

21- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय यह समझने में असफल रहा कि विचारण में विलम्ब के आधार पर दण्डादेश में कमी का औचित्य नहीं है। साधा सिंह बनाम पंजाब राज्य 1985-3 एससीसी 225] में इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इसके समान ही बिन्दू जो धारा 307 के अपराध से उद्भूत हुआ] पर विचार करते हुये इस प्रकार अभिनिर्धारित किया]/-

> "5. हम यह स्वीकार करते हैं कि किसी भी केस में उचित दण्ड क्या होगा यह विचार न्यायालय के विवेक पर छोड़

दिया गया है] जो विवेक मजबूत विधिक सिद्धांतो के आधार पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। दण्डादेष के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न सुसंगत परिस्थितयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दण्डादेश की मात्रा निर्धारित करने से पहले विद्वान सत्र न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्षकारों को सुनना चाहिए।

6. दोषसिद्धी के विरूद्ध अपील में उच्च न्यायालय दोषसिद्धी की पुष्टि करने के पश्चात दण्डादेश को कम करने] परिवर्तित करने या संषोधित करने के लिये स्वतंत्र होता है। अगर उच्च न्यायालय इस मत का है कि दण्डादेश भारी है या असाधारण रूप से कठोर है या संषोधित किया जाना आवश्यक है] ऐसा मान्यता प्राप्त विधिक सिद्धांतो के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिये हम पहले उन कारणों पर विचार करेंगें जिसमें विद्वान न्यायाधीश को अपीलार्थीगण को भुगती हुई सजा तक दण्डादेश कम करने के लिये प्रभावित किया है।“

उच्च न्यायालय इस मामले में दिये गये कारणों के समान कारणों को खारिज करते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचा जो सुसंगत है।

"7. विद्वान न्यायाधीश ने इस बात का संज्ञान लिया कि अपीलार्थीगण के तीन सहअभियुक्तगण को विचार न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें दोषमुक्त किया गया। यद्िप उनपर भी कुछ चोटें कारित करने का आरोप था। यदि कुछ सहअभियुक्तगण का दोषमुक्त होना अभियोजन के संपूर्ण मामले पर संदेह प्रकट करता है तो संपूर्ण मामला अस्वीकार किया जा सकता है। परन्तु हम समझने में असफल है कि कुछ अभियुक्तगण का दोषमुक्त होना दोषसिद्ध अभियुक्तगणों के दण्डादेश के प्रश्न पर किस प्रकार सुसंगत है। इस मामले में अभियोजन ने अभिकथित किया है कि यह लोग अपीलार्थीगण ही बंदूकें लिये हुये थे। फिर विद्वान न्यायाधीश ने प्रकट किया कि अपीलार्थीगण को शेष बची अवधि के दण्डादेश को भुगतने के लिये पुनः कारागार में भेजे जाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमने बारंबार पूछा कि यह सहानुभूति क्यों लेकिन उत्तर का इंतजार व्यर्थ रहा। यदि कोई अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर छोड़ा जाता है और जब अपील के खारिज होने पर उसको जेल भेजने के बिन्दु पर न्यायाधीश का मानस झकझोरना] अपील के लंबित रहते जमानत देने के लिये नकारात्मक

रूप से उपयोगी होगा। कोई भी जमानत आदश प्राप्त करते समय निर्णय का पूर्वानुमान लगा सकता है।

8. प्रथम अपराधियों से संव्यवहार के लिये आरक्षित लाभ की धारा 360 सीआरपीसी के प्रावाधान विद्वान न्यायाधीश के ध्यान में होते तो यह अपीलार्थीगण भी उसे प्राप्त करने के हकदार थे। स्वीकृत रूप से दोनों अपीलार्थीगण अपराध कारित किये जाने की तिथि को 21 वर्ष की आयु से अधिक थे। उन्होंनें आग्नेयास्त जैसे खतरनाक उपयोग किया। चार गोलियां चलाई गई। घटना का एक ही सौभाग्यशाली भाग यह था कि आहत मृत्यु से बच गया। अपीलार्थी द्वारा कारित किया गया अपराध धारा 307 के तहत आजीवन कारावास से दण्डनीय है। हमें यह बताया गया कि अपीलार्थीगण ने मुश्किल से तीन माह का कारावास भुगता है यदि अपराध धारा 307 आईपीसी के तहत है जो कि हत्या का प्रयास है जो कि आजीवन कारावास से दण्डनीय है और अगर तीन माह के कारावास का दण्डादेश दिया जाता है तो इससे अच्छा है कि कोई सारभूत दण्डादेश नहीं दिया जावे क्योंकि इससे न्याय तंत्र का मजाक होता है। श्री जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जुर्माने में वृद्धि की है और आहतगण को मुआवजा दिलाया है और इस कारण हमें दण्डादेश में वृद्धि

नहीं करनी चाहिए। ऐसे आग्रह को स्वीकार करने का मतलब होगा यदि हमारी जेब वहन कर सकें तो गंभीर अपराध कारित करों] भारी जुर्माना देने की प्रार्थना करो और न्याय के पंजे से बच जाओ। धन की ताकत को न्यायालय की प्रक्रिया को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने असंगत और असंवहनीय आधारों पर दण्डादेश के आदेश में गलत रूप से दखल दिया और वो भी उन आधारो पर जो अभिलेख से प्रकट नही हुये अतः न्यायिक की असफल होने को रोकने के लिये हमें दखल देना चाहिये और उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को अपास्त करना चाहिये और सैशन न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को पुनर्जिवित करना चाहिये जो हम एतदद्वारा आदेश देते है। दोनो अपीलार्थीगण को तुरन्त प्रभाव से दण्डादेश भगतने के लिये अभिरक्षा में लिया जावे।

22- इन्ही सिद्धांतों को लागू करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ननकूप्रसाद मिश्रा और अन्य 2005-10 एस-सी-सी- पेज 503 में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के प्रर्याप्त कारणों के बिना दण्डादेश को कम करने के निर्णय को अपास्त किया।

23- उच्च न्यायालय द्वारा निर्भर किया गया दूसरा आधार है कि यह आहतगण व अभियुकतगण के परिवारों के मध्य दुश्मनी को बढाया देगा। हमारे विचार में अभियुक्त को दिये जाने वाले दण्डादेश को निर्धारित करने के उददेश्य के लिये यह आधार असंगत है। न्यायालय परिवारों के मध्य दुश्मनी बढकने के संदेह मात्र के आधार पर अभियुक्त को खुला नही छोड सकते।

24- हमारे मत में उच्च न्यायालय का अपराध की प्रकृति आहतगण@गवाहान की चोटो की गंभीरता को विचार में लिये बिना दण्डादेश में कमी करना असंवहनीय है।

25- पूर्व के पदो में चर्चा की गई तथ्यात्मक स्थिति के अलावा डॉक्टर अश्वीनी कुमार चौधरी अभियोजन साक्षी-18 ने मेहमा सिंह को परीक्षित करने के पश्चात कहा है कि उसकी आवाज अस्पष्ट है और उसे बोलने में कठिनाई महसूस हो रही थी। हम चक्षुदर्शी साक्ष्यों के कथन और चिकित्सक के साक्ष्य के आधार पर सतुष्ट है] यह साबित हुआ है कि अभियुक्तगण ने अभियोजन द्वारा बताये अनुसार चोटें कारित की है। यह भी साबित है कि भागसिंह ने प्यारासिंह के बॉये कंधे पर भोैंटे हथियार से चोट कारित की। पुलिस इसी प्रकार हजारा सिंह की एमएलआर रिपोर्ट साबित करती है कि चोट धारधार हथियार से केशोराम द्वारा कारित की गई थी। उच्च न्यायालय इस सुसंगत तथ्य को विचार में लेने में असफल रहा की धारा 307 भा-द-स- के अपराध के लिये राजकुमार को इस आशय व

ज्ञान से महेमा सिंह को गंभीर चोट पहूॅचायी और यदि उस कृत्य से महेमा सिंह की मृत्यु कारित कर देता तो हत्या के अपराध का दोषी होता] के लिये व्यक्तिगत रूप से आरोपित किया गया थाA

26- इन परिस्थतियो में हम यह अभिनिर्धारित करते है कि उच्च न्यायालय ने पूर्णतः असंगत और असंवहनीय आधारों पर दण्डादेश के आदेश मे गलत रूप से हस्तक्षेप किया जिनमें से कुछ आधार अभिलेख से प्रकट नहीं होते थे। न्याय की हत्या को रोकने के लिये हमे हस्तक्षेप करना चाहिये और तद्नुसार हम उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को अपास्त करते है और विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को पुनर्जिवित करते है सभी प्रत्यार्थीगण- अभियुक्तगण राजकुमार]केशोराम लालचंद और भागसिंह को तत्काल प्रभाव से विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित शेष दण्डादेश को भुगतने के लिये अभिरक्षा में लिया जावे अपील स्वीकार की गई।

के.के.टी.

अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी श्री सुनिल रणवाह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****